तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

29 नव., 2019

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री कमल दवे के जूनियर श्री धीरेन्द्र पाण्डे उपस्थित। रेस्पो. संख्या एक के कायममुकामान की ओर से अधिवक्ता श्री रामरख व्यास की ओर से श्री सुनील व्यास तथा रेस्पो. संख्या तीन की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो. संख्या एक के कायममुकामान के अधिवक्ता श्री रामरख व्यास को उनके मोबाइल फोन नम्बर 9468556274 पर पूर्व में निर्धारित तारीख-पेशी दिनांक 11 नवम्बर 2019 को भी न्यायालय समय में स्मरण कराते हुए उपस्थित होकर बहस करने हेतु सूचित किया गया। इसके उपरान्त भी रेस्पो. संख्या एक की ओर से वे स्वयं उपस्थित नहीं हुए। तब न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर आईन्दा पेशी दिनांक 14 नवम्बर 2019 की मुकर्रर की गयी, किन्तु दिनांक 14 नवम्बर 2019 को भी रेस्पो. संख्या एक की ओर से वे उपस्थित नहीं हुए। तब पुनः एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21 नवम्बर 2011 निश्चित की गयी। इसके बाद दिनांक 21 नवम्बर 2011 को रेस्पो. संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री रामरख व्यास की ओर से श्री सुनील व्यास के उपस्थित होने पर बहस सुनी जा कर प्रकरण वास्ते निर्णय दिनांक 29 नवम्बर 2019 मुकर्रर की गयी।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी-रेस्पो. संख्या एक ने न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर के समक्ष एक राजस्व वाद (40/1982) प्रस्तुत कर आराजी खसरा संख्या 1502/3 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा वाके मौजा पीपाड स्वंय की खातेदारी भूमि जो पूर्व खातेदार पानी बेवा आसूराम नाई से दिनांक 04 दिसम्बर 1976 को स्वयं द्वारा कय किया जाना जाहिर किया। जुलाई 1979 में बाढ आने से पीपाडशहर के पास जोजरी नदी पर बना हुआ रेलवे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी मरम्मत कर रेलवे द्वारा सुरक्षा दीवार भी बनायी गयी, उक्त सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य में वादिनी-रेस्पो. संख्या एक की उक्त खातेदारी के खसरा संख्या 1502/3 की 6 बीघा भूमि रेलवे द्वारा काम में ले ली गयी और बाकी रही 10 बीघा जमीन भी वादिनी-रेस्पो. के लिए काश्त के उपयोग की नहीं रही है। इस कारण वादिनी-रेस्पो. ने अपनी खातेदारी की कृषि भूमि, उसमें निर्मित कुऑ, फसल का मुआवजा व कब्जा प्रतिवादी से प्राप्त करने हेतु उक्त दावा प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद दावा वादिनी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में दिनांक 25 अप्रेल 1989 को डिकी कर दिया।

उक्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 25 अप्रेल 1989 के खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उसके बाद अगली तारीख पेशी पर अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र पाण्डे ने उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग पेश की। दिनांक 25 अप्रेल 2016 की तारीख पेशी पर अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र पाण्डे ने वकालतनामा पेश किया, रेस्पो. संख्या एक व चार की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ, रेस्पो. संख्या दो व तीन की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 02 मई 2016 को रेस्पो. की रजिस्टर्ड एडी नोटिस भिजवाये जाने के आदेश दिये गये। 16 मई 2016 को रेस्पो. संख्या एक की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई, तब उसके कायममुकामान की कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये। दिनांक 14 दिसम्बर 2016 को अपीलाण्ट की ओर से धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र सहित एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिस पर रेस्पो. संख्या एक के कायममुकामान के सम्मन जारी किये गये। दिनांक 07 मई 2018 को रेस्पो. संख्या एक के कायममुकामान की ओर से अधिवक्ता श्री रामरख व्यास ने वकालतनामा पेश किया। 10 अगस्त 2018 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर रेस्पो. एक के कायममुकामान को रिकार्ड पर लिया गया और संशोधित अपील शीर्षक पेश करने हेतु अधिवक्ता-अपीलाण्ट को निर्देश दिये गये। दिनांक 05 नवम्बर 2018 को अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री कमल दवे द्वारा विवाधक संख्या 11 व 12 के संबंध में अपनी लिखित जबाब/बहस पेश किया। रेस्पो. की ओर से उसका जबाब/बहस हेतु समय चाहा, जो दिया गया। दिनांक 04 फरवरी 2019 को संशोधित अपील शीर्षक पेश किया गया जो दिनांक 21 नवम्बर 2019 को रिकार्ड पर लिया गया।

मगर कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी रेस्पो. के अधिवक्ता श्री रामरख व्यास अदालत हाजा में स्वयं उपस्थित ही नहीं आये। परन्तु उनकी ओर से श्री सुनील व्यास अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कमल दवे के जूनियर श्री धीरेन्द्र पाण्डे अदालत हाजा में उपस्थित हुए और लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय पारित किये जाने हेतु अनुरोध किया। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक की ओर से उपस्थित श्री सुनील व्यास ने बहस में हिस्सा नहीं लिया और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 11 अप्रेल 1985 पर प्रतिवादीगण के खिलाफ किया गया है। जिससे अदालत हाजा सहमत है, क्योंकि हर किसी मामले में सरकार को विभागीय पदाधिकारी के जरिये ही पक्षकार बनाया जाता है और वही सरकार एवं विभाग का उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने समक्ष अपील प्रकरण संख्या अपील/डिकी/टीए/5904/2000/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 15 फरवरी 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उपरोक्तानुसार पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तनकी संख्या 11 व 12 का निस्तारण किया गया। इन्हीं निर्देशों के तहत अपील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर माननीय राजस्व मण्डल को लौटाई जावें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स ने अदालत हाजा के समक्ष अपील (204/1989) प्रस्तुत की। वादिनी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से कॉस ऑब्जेक्शन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सीपीसी प्रस्तुत किये गये। अदालत हाजा द्वारा उक्त अपील दिनांक 30 जून 1993 को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 25 अप्रेल 1989 अपास्त किये गये।

वादिनी-रेस्पो. द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 30 जून 1993 के खिलाफ प्रस्तुत अपील दिनांक 25 अगस्त 1998 को स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि कॉस आब्जेक्शन पर नियमानुसार सुनवाई करने के बाद स्पष्ट निर्णय दिया जावे।

माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्देशों की पालना में अदालत हाजा द्वारा कॉस-आब्जेशन के संबंध में उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी और दिनांक 07 सितम्बर 2000 को तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25 अप्रेल 1989 निरस्त कर दिया गया।

अदालत हाजा के उक्त निर्णय के खिलाफ वादिनी-रेस्पो. द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील/डिकी/टीए/5904/2000/जोधपुर दिनांक 15 फरवरी 2016 को निर्णित करते हुए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा ***प्रकरण अदालत हाजा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि दोनों पक्षकारान को सुनकर तनकी संख्या 11 व 12 का निर्णय नये सिरे से कर प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित करें। साथ ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दोनों पक्षकारान को निर्णय की प्रमाणित प्रति लेकर अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 29 फरवरी 2016 को उपस्थित होने के निर्देश भी मण्डल के उक्त निर्णय में दिये गये।***

माननीय मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 15 फरवरी 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अदालत हाजा में प्रकरण पुनः संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी। दिनांक 29 फरवरी 2016 को जोधपुर में अधिवक्तागण की हडताल होने से उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। आगामी तारीख पेशी दिनांक 08 मार्च 2016 को भी दोनों पक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न ही अपनी ओर से कोई पक्ष रखा। उनकी मात्र उपस्थिति रही।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति पश्चात हुई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

चूंकि मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा तनकी संख्या 11 व 12 के संबंध में उभयपक्षकारान की सुनवाई कर निष्कर्ष पारित कर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसकी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम अन्य तनकियात एवं सम्पूर्ण अपील बाबत कोई टिप्पणी करना प्रासंगिक नहीं है, मात्र तनकी संख्या 11 व 12 के संबंध में ही विवेचन किया जा रहा है।

तनकी संख्या 11 "आया प्रतिवादी संख्या 2 डिवीजनल सुपरिण्टेण्डेण्ट उत्तर रेलवे जोधपुर का कोई अस्तित्व नहीं है?" को सिद्ध करने का दायित्व अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी-पक्ष पर रखा गया था। मगर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-पक्ष के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि कौनसे ऐसे तथ्य एवं आधार है, जिनसे निश्चित तौर पर संदेह से परे यह कहा जा सके कि डिवीजनल सुपरिण्टेण्डेण्ट उत्तर रेलवे जोधपुर का कोई अस्तित्व नहीं है। अदालत हाजा के समक्ष अपील स्तर पर जो लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है, उसमें जाहिर किया गया है कि दावा संस्थित किये जाने के समय डिवीजनल सुपरिण्टेण्डेण्ट उत्तर रेलवे जोधपुर का कोई पद अस्तित्व में नहीं था। वर्तमान में मण्डल रेल प्रबन्धक का पद पूर्व में डिवीजनल सुपरिण्टेण्डेण्ट के नाम से जाना जाता था। अतः इस नाम का पद व पदाधिकारी रेलवे में नहीं था। मगर लिखित बहस में किये गये अपने इस तर्क के समर्थन में कोई ठोस तथ्य, आधार या अभिलेख अपीलाण्ट-पक्ष की ओर से अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके विपरीत जोधपुर में **"डिवीजनल सुपरिण्टेण्डेण्ट उत्तर रेलवे जोधपुर"** का कार्यालय होने के आधार पर तनकी संख्या एक का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 11 अप्रेल 1985 में प्रतिवादीगण के खिलाफ किया गया है। ***तनकी संख्या 11 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष से अदालत हाजा सहमत है।***

तनकी संख्या 12 "आया प्रतिवादी संख्या एक जनरल मैनेरज उत्तर रेलवे का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ एक पद है जिसके खिलाफ डिकी होने से सरकार इससे बाध्य एवं पाबन्द नहीं है?" (जिम्मे प्रतिवादी) का

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर